न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 383/2025

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. वायदा पुत्र तालब 2. शरीफ पुत्र तालब 3. सुहिंदरा पत्नी तालब जातियान मुसलमान निवासी चिचड़ासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर, राजस्थान		1. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :प्रार्थीगण वकील –श्री हासम खान

–: निर्णय :–

दिनांकः– 08/05/2026

<u>प्रार्थीगण</u> वायदा पुत्र तालब जातियान मुसलमान निवासी चिचड़ासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर, राजस्थान वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा चिचड़ासर पटवार हल्का चिचड़ासर भू. अभिलेख नि. क्षेत्र सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 80 रकबा 15.6370 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम व खसरा संख्या 364/77 रकबा 2.8571 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम भूमि आयी हुई है। नकल जमाबदी साथ में पेश है। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता व प्रार्थीगण संख्या 3 के पति तालब के फौत होने पर हल्का पटवारी चिचड़ासर के द्वारा नामान्तरकरण पारित करवाया गया जिसमें भूलवश प्रार्थीगण के नाम खसरा संख्या 80 में वायदा शरीफ, पि. तालब के स्थान पर वाहद, सरीफ, पि. तालब अंकित कर दिया गया है तथा खसरा संख्या 364/77 में प्रार्थीगण का नाम वायद, सरीफ, पिता तालब सहोदरा पत्नी तालब अकिंत कर दिया गया है जबकि उक्त दोनों खसरों में गलत नाम दर्ज हो गए हैं तथा प्रार्थीगण अनपढ व्यक्ति था जिसे अपने जीवनकाल में अपनी जोत में नाम गलत होने की जानकारी नहीं थी। जब प्रार्थीगण को अपना नाम गलत होने की जानकारी नहीं थी। जब प्रार्थीगण को अपने खेत की खतौनी की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से जमाबंदी प्राप्त की तो जमाबंदी मे प्रार्थीगण का नाम गलत होने की जानकारी हुई। प्रार्थीगण का नाम वायदा, शरीफ, सुहिंदरा पि. तालब हैं। लेकिन भूलवश राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड के खसरा संख्या 80 में वायदा शरीफ, पि. तालब के स्थान पर वाहद, सरीफ, पि. तालब अंकित कर दिया गया हैं। तथा खसरा सं

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

364/77 में प्रार्थीगण का नाम वायद, सरीफ, पिता तालब, सहोदरा पत्नी तालब अंकित कर दिया है। लेकिन प्रार्थीगण अपना नाम वास्तविक नाम वायदा, शरीफ पिता तालब, सुहिंदरा पति तालब हैं। आधार कार्ड, मतदान परिचय पत्र, तथा राशन कार्ड व अन्य समस्त राजकीय दस्तावेजात मे प्रार्थीगण का नाम वायदा, शरीफ, सुहिंदरा पि. तालब हैं। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे गलत अंकित होने से प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर कृषि ऋण की आवश्यकता व हस्तान्तरण होने पर बैंको आदि मे आवेदन करने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं। इससे प्रार्थीगण को अपने हकुको पर भारी कुठाराघात होने की सम्भावना हैं इसलिए प्रार्थीगण के नाम को दुरुस्त करवाने का अधिकारी हैं। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को खेत मौजा चिचड़ासर पटवार हल्का चिचड़ासर भू. अभिलेख नि. क्षेत्र सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 80 रकबा 15.6370 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 वाहद, सरीफ, पि. तालब के स्थान पर वायदा शरीफ, पि. तालब व खसरा संख्या 364/77, रकबा 2. 8571 हैक्टर किस्म बा. सोयम में प्रार्थीगण का नाम वायद, सरीफ पिता तालब, सहोदरा पति तालब के स्थान पर वायदा, शरीफ पुत्र तालब, सुहिंदरा पति तालब उक्त भूमि में राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त करने का आदेश फरमाया जावें। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। नाम दुरुस्ती के संबंध में न्यायालय के पत्रांक क्रमांक/कोर्ट/2025/90 दिनांक 30.01.2026 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार सेड़वा को तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जो कि उनके कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2026/42 दिनांक 17.04.2025 द्वारा प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन '' दिनांक 14.04.2026 को मौका जांच की गई। परिवादी वायदा पुत्र तालब, शरीफ पुत्र तालब, व सुहिंदरा पत्नी तालब के जमाबंदी चौसाला में वायद पुत्र तालब, सरीफ पुत्र तालब, सहोदरा पत्नी तालब दर्ज है। जबकि इनके अन्य कागजात जैसे आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड इत्यादि मे वायदा पुत्र तालब, शरीफ पुत्र तालब सुहिन्दरा पत्नी तालब दर्ज है। परिवादी वायदा, शरीफ व सुहिंदरा के नाम कागजात आधार कार्ड राशन कार्ड परिचय पत्र अनुसार किया जाना उचित है फर्द मौका मौके पर तैयार कर पढकर सुनाई गयी एवम् हस्ताक्षर अगुंष्ठ निशान करवाए गए।''

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 383/2025 उनवान वायदा वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रार्थीगण वायदा पुत्र तालब जाति मुसलमान निवासी चिचड़ासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर, राजस्थान वगैरा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा चिचड़ासर पटवार हल्का चिचड़ासर भू. अभिलेख नि. क्षेत्र सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त का खेत खाता संख्या 118 खसरा नम्बर 364/77 रकबा 2–8571 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खेत खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 80 रकबा 15–6370 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम वायद, सरीफ, पि. तालब, सहोदरा पति तालब के स्थान पर वायदा पुत्र तालब, शरीफ पुत्र तालब, सुहिंदरा पत्नी तालब दर्ज करने के आदेश दिए जाते है, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2026/42 दिनांक 17.04.2026 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.04.2026 व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/05/26. को खुले इजलास में सुनाया गया।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

दिनांकः— 17/04/2026

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 42

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला— बाड़मेर)

विषयः— राजस्व वाद संख्या 280 / 2025 अनवान वायदा बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत RLR धारा 136 में नाम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

प्रसंगः— श्रीमान जी का आदेश क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 90 दिनांक 30.01.2026 के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 383 / 2025 अनवान ˙ वायदा ˙ बनाम तहसीलदार सेड़वा में मौजा चिचडासर के खसरा नंबर 364 / 77 क्रमशः रकबा 2.8571 हैक्टर में अन्तर्गत धारा 136 RLR ACT में नाम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अभिलेख निरीक्षक सोनडी द्वारा दिनांक 14.04.2026 को मौका जांचकर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार पेश की गई। जो इस पत्रांक के सलंग्न श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

सलंगनः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

प्रदर्श क2

फर्द मौका

आज दिनांक 14/5/26 को मौजा चिचड़सार स्थित मौके पर उपखण्ड अधिकारी सेड़वा (सहायक कलेक्टर) न्यायलय के राजस्व आवेदन 383/2025 अनवान वायदा वगैरह बनाम तहसीलदार सेड़वा स्वयं श्रीमान तहसीलदार सेड़वा के आदेश/क्रमांक/भु.अ./372-373/05.02.2026 की पालना मे हल्का पटवारी सेड़वा के साथ मौके पर पहुँचा।

परिवादी ~~वा~~ वायदा पुत्र तालब, शरीफ पुत्र तालब व सुहिन्दरा पत्नि तालब के जमाबंदी चौसाला मे वायद पुत्र तालब, सरीफ पुत्र तालब, सहोदरा पत्नि तालब दर्ज है। जबकि इनके अन्य कागजात जैसे, आधार कार्ड, परिचय-पत्र, राशन कार्ड, इत्यादि मे वायदा, पुत्र तालब, शरीफ पुत्र तालब सुहिन्दरा पत्नि तालब दर्ज है। परिवादी, वायदा, शरीफ व सुहिन्दरा के नाम कागजात - आधार कार्ड, राशनकार्ड, परिचय-पत्र अनुसार किया जाना उचित है।

फर्द मौका मौके पर तैयार कर पढ़कर सुनाई गयी स्वयं हस्ताक्षर अंगुठा करवाये गये।

संलग्न - आधार कार्ड,
राशन कार्ड,
परिचय-पत्र
जमाबंदी चौसाला

14/04/26
प. चिचड़ासार

14/5/2026
ILR सोनड़ी

नि. सुहिन्दरा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Achary

तालब खान

शारीक

नि.
वायदा